CHETANA
International Journal of Education

Impact Factor
SJIF=5.689

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 10th May 2021, Revised on 18th May 2021, Accepted 28th May 2021

शोधपत्र

सामाजिक नेत्तृत्व की अवधारणा

* श्रीमती सीमा मिश्रा
सहायक प्राध्यापक–समाजशास्त्र
सन्दीपनी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र)
Email- mishraseema14@gmail.com, Mob.- 9826532352

मुख्य शब्द - *नेतृत्व कार्य, परोपकारी व्यक्ति, दीन–दुखियों की सेवा आदि।*

सार संक्षेप

भारतीय समाज में दीन–दुखियों की सेवा या सहायता करना की एक प्राचीन काल से परम्परा विद्यमान है। इस प्रकार से सामाजिक सहायता के आधुनिक और वैज्ञानिक चिन्तन की प्रणाली समाज में पहले से विद्यमान है। समाज में सहायता या सेवा भाव के लिए एक प्रक्रिया और उसके विभिन्न स्वरूप है। समाज में नेतृत्व कार्य की शक्ति सेवा या परोपकारी व्यक्ति में होती है। सेवा करने वाले व्यक्ति का जीवन दर्शन पर आधारित होता है।

यह व्यक्तियों को समूह जो स्वीकृत नीतियों के पालन की प्रेरणा प्रदान करता है। इसके लिए नेता अनेक कार्यो के लिए सदस्यों में श्रम विभाजन का कार्य करता हैं। वह सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सामजस्य को स्थापित करता है।

समाज में कुछ महत्वपूर्ण कार्य ऐसे भी होते है जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा लोगों को समुचित साधन उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं समूहो के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन योजनाओं के लिए विभिन्न साधनों को एकत्रित करता है। उनका अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिस किया करता है।[1]

शोध प्रविधि

इस शोध पत्र के विषय सामाजिक नेतृत्व की अवधारणा में प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध समाग्री के आधार पर अध्ययन किया गया है। इस हेतु पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं एवं विद्वानों के चिन्तन को समाहित किया गया है।

समस्या

- समाज में सही नेतृत्व न होने के कारण सामाजिक वातावरण दूषित होता है।
- समाज में नेतृत्वकर्त्ता ईमानदार नहीं हुआ ऐसी स्थिति में समाज में विखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- नेतृत्वकर्ता के निष्ठावान नहीं होने पर समाज में कमीशन खोरी, लालच और चोरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- नेतृत्वकर्ता समाज के उत्तरदायित्वों का निर्वहन यदि किसी दबाव में करता है। उससे उसकी छवि खराब होने लगती है।

उद्देश्य

सामाजिक दायित्वों का समूह की सभी नीतियों का निर्माण सेवाभावी के द्वारा ही किया जाना अधिक सरल होता है।

- ग्रामीण नेत्तृत्व को करने के लिए बौद्धिक योग्यता का रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे किसी भी कार्य में निर्णय लेने की शक्ति विद्यमान रहती है।
- नेत्तृत्वकर्त्ता में पूर्वानुमान की क्षमता अत्यधिक होती है। इस प्रकार से किसी भी कार्य को करने से पहले यह विचार करना भी आवश्यक है जो आगे इसका परिणाम देखेगा।
- ग्रामीण नेत्तृत्व को आत्मविश्वासी बनाया जाना चाहिए।
- वास्तविक नेत्तृत्व की शक्ति समाज में सामाजिकता युक्त गुण को विद्यमान करने में है।
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करने वाले नेत्तृत्वकर्त्ता में लोचपूर्ण व्यवहार का होना आवश्यक है।
- किसी भी नेतृत्वकत्ताओं में जोखिम उठाने की क्षमता का विकास होना चाहिए।
- ग्रामीण नेत्तृत्व की शक्ति को भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए
- नेत्तृत्व में सरलता और सुगमता का होना आवश्यक है। इस क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्याओं को नेतृत्वकर्त्ता के समक्ष रखता है।
- ग्रामीण नेतृत्वकर्त्ता शासन की सम्पूर्ण योजनाओ को संचालित कराने में सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नेत्तृत्व कार्य का पद लेने वालें का प्रमुखतः पंचायत में हो रहे नवीन और पुराने कार्यो परीक्षण करना होता है।

समाधान

ये नीतियाँ परक समस्याओं का समाधान करना। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक ईमनदारी की आवश्यकता होती है। इन सभी नीतियों के निर्माण में जन साधारण की भावनाओं को ध्यान में रखकर नेतृत्वकर्त्ता उस कार्य को करने में सफलता की ओर बढ़ने में है।[2]

नेतृत्वकर्ता के द्वारा केवल उन्हीं नीतियों का निर्माण करना जिससें अधिकांश लोगों को लाभ हो सकें। इस हेतु नेता को एक ऐसे विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तियों को सर्वोत्तम सलाह प्रदान करता है। इससे प्रकार से उन्हें भविष्य की विभिन्न कठिनाइयों से अवगत कराता है।[3]

इस प्रकार की कठिनाईयों को सदस्यों के बीच सघंर्ष और विवादों का समाधान बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। इस कार्य के लिए उसकी स्थिति एक पंच न्यायधीश के रूप में होती है। वह कभी–कभी भरपूर शक्ति का सहारा लेकर निष्पक्ष न्याय करने का प्रयत्न करता है।[4]

नेतृत्वकर्त्ता समाज के किसी भी कार्य के लिए पथ प्रर्दशन का कार्य करने लगता है। फिर भी वह स्वयं जोखिम उठाता है, स्वयं कठोर निर्णय भी लेता है।

पुरस्कार और दण्ड का निर्धारण नेतृत्वकर्त्ता को चाहे राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए हो या प्राप्त हो या न हो वह अपने सदस्यों को पुरस्कार और दण्ड देने का भी कार्य बड़ी निष्ठा से करता है। नेतृत्वकर्त्ता के इस कार्य से समूह में नियंत्रण की स्थिति बनी रहती है।

नवीन विचार देना नेता के लिए उन विचारों को प्रस्तुत करने के बराबर होता है। उसके लिए वह समूह के लिए अधिक उपयोगी और सरल बनाता है। इस प्रकार के विचार व्यक्तियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। उससे उन्हें एकता के बन्धन में भी बाधने की कोशिस करता है।

इसका मुख्य उदाहरण गांधी जी द्वारा स्वयं स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग और राजनीतिक उपयोगिता से सभी लोगों को परिचित कराया जाता है।

नेत्तृत्व में पंचायती राज की अह्म भूमिका होता है। इससे स्पष्ट होता है कि नेत्तृत्व कारियों के इस महत्वपूर्ण कार्य को करने में सफल बनाता है। यहाँ तक इस देश के ग्रामीणों को विकासात्मक गति प्रदान की जा सकें। यहाँ तक पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करने में नेतृत्वकर्त्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ईमानदार नहीं हुआ तो नेत्तृत्व के महत्व के साथ ही साथ इनके अलोचनात्मक दोष भी दिखाई देने लगते है। खराब प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्र के जनता की समस्याओं के समाधान में असफलता हो जाता है। इससे भ्रष्टाचार, सत्ता या पद का दुरूपयोग करने के चलते नेत्तृत्व की आलोचना होती है। इस प्रकार से देश की पंचायती राज व्यवस्था को खोखला किया जा रहा है।

इस प्रकार के भ्रष्टाचारी से संलग्न एवं काला धन एकत्रित करने वाले पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों को सही दिशा में लाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आज बहुत ही कारगर और जानकारी जुटाने में सफल साबित हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। पंचायती राज व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी तभी अधिक सार्थक होगी जब लोगों को इन भ्रष्ट नेत्तृत्वकर्त्ताओं के विरूद्ध आवाज उठाने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इससे व्यवहारता के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगने पर संस्थाओं का किसी भी जबावदार नागरिक का यह कर्त्तव्य होता है कि मांगी गई महत्वपूर्ण सूचना उसे प्रदान करें।

नेत्तृत्व एक विशेष प्रकार की व्यवहारिक क्रिया है। उसमें प्रभुत्व, सुझाव और आग्रह सम्मिलित होता है। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में नेत्तृत्व की वास्तविकता को समझा जा सकता है।[5]

विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को गति देने के लिए किसी भी सत्ता के विकेन्द्रीकरण करते हुए उस सम्पूर्ण सत्ता के दायित्वों में महिलाओं की भागेदारी सुनिश्चित करने में यह कार्य अधिक सफल होगा। इससे गांव के लोगों प्राथमिक सुविधाओं के लिये मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इससे जीवन के लिए यह आवश्यक ही नही अनिवार्य तत्त्व के रूप में रखा जा सकता है। जैसे– सड़क, बिजली, विद्यालय, पानी, मनोरंजन आदि जो थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

निष्कर्ष

यदि इस व्यवस्था को समय के रहते हुए ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी होना भी अधिक आवश्यक है। उससे उनके दायित्वों को अच्छी तरह से निभा सकती है। इन सभी कमियों को दूर किया जा सकता है। फिर भी उन महिलाओं की सहभागिता के विकास में बाधक नहीं होगी। इसलिए पंचायतों में महिला सहभागिता को सुदृढ़ और अर्थपूर्ण स्वयं पोषित बनाने की आवश्यकता है। जिससे सामाजिक समस्याओं को वे भी समझ सकें। इससे घर परिवार में विखराव की स्थिति नहीं आयेगी।

सन्दर्भ

1. बघेल, डॉ. किरण, समकालीन भारत में समाज और संस्कृत ग्रामीण विकास का समाजशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मांर्ग भोपाल, 2008, पृष्ठ 52
2. मुखर्जी रविन्द्रनाथ, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रकाश बुक डिपो बरेली, 1962, पृष्ठ 28
3. आहूजा राम, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली 2000, पृष्ठ 45
4. चन्द्र गिरीश, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रकाश बुक डिपो बरेली, 1962, पृष्ठ 22
5. पाण्डेय, डॉ. एस.एस., ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, पृष्ठ 18

**** Corresponding Author***
श्रीमती सीमा मिश्रा
सहायक प्राध्यापक–समाजशास्त्र
सन्दीपनी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र)
Email- mishraseema14@gmail.com, Mob.- 9826532352